

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—लेखा—13 / एजी / 2024 /

दिनांक:

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
जोन—.....।

विषय:—महालेखाकार/निरीक्षण विभाग के बकाया विभिन्न लेखा प्रकरणों को निस्तारण हेतु बैठक का आयोजन करने के क्रम में।

संदर्भ:—राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 10.01.2024 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु सं0 3, 9, 12, 14, 15 व 18 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 10.01.2024 में विभिन्न लेखा प्रकरणों पर चर्चा की जाकर महालेखाकार के बकाया आक्षेपों में से 40% एवं अन्य प्रकरणों में 100% अनुपालना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आप अपने स्तर पर 14 फरवरी 2024 तक बैठक आयोजन की तिथि निर्धारित कर अवगत करावें। उक्त बैठक में आपके एवं समस्त अधीनस्थ संस्थाओं के निम्न बकाया प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करें:—

1. महालेखाकार के बकाया आक्षेपों का निस्तारण (40%)
2. बकाया ओ.बी. आईटम की अनुपालना (100%)
3. चोरी/गबन प्रकरणों का निस्तारण (100%)
4. निदेशक निरीक्षण विभाग के बकाया भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना (100%)
5. निदेशक निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदन (100%)

कृपया बैठक की तिथि तय कर निदेशालय को भी अवगत करावें, ताकि बैठक में निदेशालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित हो सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

21

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—लेखा—13 / एजी / 2024 / 6794

दिनांक: 23/01/24

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.....को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं अपने एवं अधीनस्थ संस्थाओं के बकाया लेखा प्रकरणों पर मुख्यालय/संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी.....को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि बकाया लेखा प्रकरणों पर मुख्यालय/संयुक्त निदेशक, जोन कार्यालय द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।

2

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर